

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-12/2026

/पटना, दिनांक—

श्री आशीष कुमार पासवान, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं), पाटलिपुत्र अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-02.04.2026 से 16.04.2026 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री आशीष कुमार पासवान के अवकाश लेखा में (239-15=224) दो सौ चौबिस दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-12/2026 2390

/पटना, दिनांक— 01/07/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015/
कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र0), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, पाटलिपुत्र अंचल, पटना/विभागीय एडमिन एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-एच0आर0 मैनेजर (स्था0), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री आशीष कुमार पासवान, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं), पाटलिपुत्र अंचल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।